



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं० : ए.60011/25/2010- आई आर

9 जून, 2010

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी/दक्षिणी /पश्चिमी/पूर्वी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक (आर सी डी यू)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कोलकाता/ चेन्नई/ तिरुवनंतपुरम

महाप्रबंधक (सी आर एस डी)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य  
नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज  
इलाहाबाद

महाप्रबंधक  
विद्युत एवं यांत्रिक वर्कशाप,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक (एफ आई यू)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक  
निआमार  
नई दिल्ली

**विषय : वर्ष 2009-2010 के दौरान कर्मचारियों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम**

संगठन के सर्वोच्च हितों तथा कर्मचारियों के न्यायसंगत हितों के मध्य संतुलन बनाने के उद्देश्य से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन का यह प्रयास रहा है कि पारदर्शी नियम व प्रक्रियाओं के प्रतिपादन द्वारा कार्य संबंधी सभी पक्षों से संबंधित एक ऐसी प्रणाली विकसित व स्थापित की जाए जिससे कि सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष व उचित व्यवहार सुनिश्चित हो सके।

2. तदनुसार वर्ष 2009-2010 के दौरान, प्रबंधन द्वारा ऐसे अनेक कदम उठाए गए ताकि कार्य संबंधी ऐसी परिस्थितियां व पारदर्शी प्रक्रियाएं उपलब्ध हो सकें जिनके द्वारा कर्मचारियों में संगठन के प्रति गहन निष्ठा का भाव विकसित हो तथा वे अपना कार्य निष्पादन सर्वाधिक तत्परता व प्रभावी ढंग से करें।

3. इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की एक निदर्शी (illustrative) सूची सूचनार्थ संलग्न है।

(के. के. झा)

सदस्य (कार्मिक व प्रशासन)

**वितरण :**

1. अध्यक्ष महोदय /सदस्य (प्रचालन)/ (वित्त)/ (योजना)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. प्रचालन कार्यालयों तथा निगमित मुख्यालय स्थित सभी विभागाध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक
3. निगमित मुख्यालय के सभी महाप्रबंधक
4. सभी अधिकारी एसोसिएशन -ए.ए.आई इंजी.गिल्ड / ए.सी.ओ.ए(आई) / आई.ए. ए. आई. ओ. ए. / ए.टी.सी.गिल्ड(आई)/ए ए ओ ए (आई)
5. महासचिव, एयरपोर्ट अथारिटी इम्प्लाइज यूनियन
6. महाप्रबंधक (आई टी) - एएआई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

## वर्ष 2009-2010 के दौरान कर्मचारियों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की निदर्शी (illustrative) सूची

1. 1995 से प्रभावी **कर्मचारी पेंशन योजना** का प्रारम्भ (योजना शीघ्र ही लागू की जाएगी)
2. सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप **कार्यपालकों का वेतनमान संशोधन**।
3. कार्यपालकों व गैर-कार्यपालकों के लिए दीर्घ काल से लंबित **भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधनों का निर्धारण**।
4. 'कार्मिक व प्रशासन' संबंधी मामलों पर नीतिगत परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु **निगमित कार्मिक नीति समूह तथा निगमित प्रशासन नीति समूह** का गठन।
5. **नीति मामलों पर कार्रवाई** की गई - 55
6. व्यक्तिशः कर्मचारियों के जटिल मुद्दों वाले मामलों पर कार्रवाई की गई - 20
7. अनुशासनिक व सतर्कता मामले निपटाए गए - 30
8. विभिन्न कार्यक्षेत्रों में **सीधी भर्ती** - 235
9. **विभागीय पदोन्नति समितियां** आयोजित की गईं ( लगभग ) - 120
10. उच्च स्तरीय संवर्ग तथा संवर्ग बाह्य पदों में चयन के लिए **डी पी सी की अंक आधारित योजना** का प्रारम्भ।
11. नई **कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली** लागू की गई।
12. अनुशासनिक व सतर्कता मामलों के शीघ्र निपटान हेतु निदेश जारी किए गए।
13. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की **खेल नीति** में संशोधन किया गया ताकि उसे और आकर्षक बनाया जा सके।
14. अधिकारी एसोसिएशनों तथा कर्मचारी यूनियनों के साथ **संरचनाबद्ध तिमाही बैठकों** की प्रणाली आरम्भ करना तथा उनकी मांगों पर उचित समय सीमा में कार्रवाई करना।
15. महिला कर्मचारियों द्वारा शिशु गोद लेने पर अवकाश प्रदान करने संबंधी नीति।
16. चिकित्सीय उद्देश्य हेतु आश्रित की आय सीमा को 1,500/- प्रति माह से बढ़ाकर 3,500/- प्रति माह किया गया।
17. वार्षिक वेतनवृद्धि की एक समान तिथि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल प्रारम्भ की गई।
18. मंदबुद्धि बच्चों के अभिभावकों की स्थानान्तरण पर तैनाती सहानुभूति के आधार पर करना।
19. महिला उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के लिए शुल्क भुगतान में छूट।
20. रेमको सिस्टम पर अवकाश रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण।

21. मैट्रो-प्रभाग के कार्यपालकों की अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठता सूची बनाना व जारी करना ।
22. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता विनियम में ऐसे कर्मचारियों को मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 50% के बराबर एकमुश्त रकम देने का प्रावधान करना जो अविवाहित हैं तथा जिनका परिवार नहीं है अथवा जो व्यक्ति स्थानान्तरण होने पर अपने परिवार को नहीं ले जाना चाहते ।
23. पैक्यॉग हवाई अड्डा परियोजना, सिक्किम पर स्कूल टांसपोर्ट सुविधा का प्रावधान ।
24. हवाई अड्डों/स्टेशनों के वर्गीकरण तथा एकल बिन्दु प्रशासन के तहत हवाई अड्डों के प्रभारी के लिए कार्यपालकों के स्तर में संशोधन ।
25. दिनांक 1.1.2007 से वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण टाउनशिपों में कार्यपालकों के लिए आवासीय क्वार्टरों के आबंटन हेतु पात्रता में संशोधन ।
26. कर्मचारियों द्वारा प्रतिपूरक अवकाश लेने संबंधी दिशा-निर्देश ।
27. छठे वेतन आयोग के अनुसार पूर्व सी ए डी कर्मचारियों के पेंशन मामलों में संशोधन ।
28. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड जारी किए गए ताकि तत्संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके ।
29. कर्मचारियों को यूनिफार्म का वितरण ।
30. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग जिसकी सराहना संसदीय समिति द्वारा की गई ।
31. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती ।

\*\*\*\*\*



No.A.60011/25/2010-IR

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

9th June, 2010

The Regional Executive Director  
Airports Authority of India  
NR/SR/WR/ER/NER  
Delhi/Chennai/Mumbai/Kolkata/Guwahati

The Executive Director(RCDU)  
Airports Authority of India  
New Delhi

The Airport Director  
Airports Authority of India  
Kolkata/Chennai/Thiruvananthapuram

The General Manager (CRSD)  
Airports Authority of India  
New Delhi

The Principal  
CATC  
Allahabad

The General Manager  
E&M Workshop  
Airports Authority of India  
New Delhi

The Executive Director (FIU)  
Airports Authority of India  
New Delhi

The Executive Director  
NIAMAR  
New Delhi

**Subject:-Important initiatives for employees during 2009-2010.**

**W**ith a view to achieve due balance between the paramount interest of the organization and the legitimate interest of the employees, it has been the endeavour of the Management of AAI to evolve and establish a system in all aspects of the working by formulation of transparent rules and procedures to ensure fair treatment to all employees.

2. **A**ccordingly, during the year 2009-2010, a number of initiatives have been taken by the Management to provide such conditions of employment and transparent procedures as would enable employees to develop a sincere sense of unity with the organization and to carry out their duties in the most willing and effective manner.

3. **A**n *illustrative* list of important initiatives for employees taken by the Management in this regard is enclosed for information.

  
(K. K. JHA)  
MEMBER(P&A)

**Copy to:**

1. Chairman/Member(Ops)/(Fin)/(Plg)/CVO
2. All HoDs/EDs at Operational Offices and CHQ
3. All GMs in the CHQ
4. All Officers' Associations – AAI Engineers Guild/ACOA(I)/IAAIOA/ATC Guild(I)/AAOA(I)
5. The General Secretary, AAEU
6. GM(IT) – for uploading on AAI website.

**AN ILLUSTRATIVE LIST OF IMPORTANT  
INITIATIVES FOR EMPLOYEES DURING 2009-2010**

1. Introduction of the **Employees' Pension Scheme** with effect from 1995.  
(The Scheme is to be implemented shortly).
2. **Revision of pay-scales of executives** in terms of DPE guidelines.
3. Formulation of long pending **amendments to the Recruitment and Promotion Rules** for executives and non-executives.
4. Formation of **Corporate Personnel Policy Group and Corporate Administration Policy Group** to streamline the issuance of policy circulars on "Personnel and Administration" matters.
5. **Policy issues** processed. 55
6. Cases involving complex issues of individual employees processed. 20
7. Disciplinary and vigilance cases disposed off. 30
8. **Direct recruitment** in various disciplines. 235
9. **DPCs conducted** (approx). 120
10. Introduction of a **marks based scheme of DPC** for selection to higher level cadre and ex-cadre posts.
11. Implementation of new **Performance Management System**.
12. Instructions issued for expeditious disposal of disciplinary and vigilance cases.
13. Revision of **sports policy** of AAI to make it more attractive.
14. Introduction of a system of **structured quarterly meetings** with Officers' Associations and Employees' Union and processing of their demands in a reasonable time-frame.
15. Policy on grant of child adoption leave to female employees.
16. Revision of condition of income limit of dependency for medical purpose from Rs.1,500/- per month to Rs.3,500/- per month.
17. Introduction of common date of annual increment as on 1<sup>st</sup> April of the year.
18. Transfer posting of parents of mentally retarded children with a sympathetic view.
19. Exemption to women candidates from payment of fees for direct recruitment.
20. Computerisation of Leave Record on RAMCO system.

21. Maintenance and issue of Seniority list of Executives of Metro-Division at all India level.
22. Provision in AAI TA/DA regulation for granting lump-sum amount equal to 50% of basic pay + DA to those who is single and does not have family or the employee who do not want to shift their family on transfer.
23. Provision of school transport facility at Pakyong Airport Project, Sikkim.
24. Revision of classification of airports/stations and level of executives headed by the airports under Single Point Administration.
25. Consequent upon revision of the pay scales of executives with effect from 1.1.2007, revision of entitlement of allotment of residential quarter in AAI township.
26. Guidelines on availing the compensatory off to the employees.
27. Revised the pension cases of ex-CAD employees as per the 6<sup>th</sup> Pay Commission.
28. Issuance of Medical Cards to AAI employees to streamline the system.
29. Distribution of uniform to employees.
30. Progressive use of Hindi in AAI offices which has been appreciated by Parliamentary Committee.
31. Induction of outstanding sports person under various sports promotion schemes of AAI.

x x x x x